राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 168वीं बैठक के कार्यवृत्त

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 168वीं बैठक **दिनांक 23.02.2026** को जयपुर में **श्री संजय विनायक मुदलियार**, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति एवं कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक के मुख्य अतिथि **श्री वी. श्रीनिवास,** माननीय मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार रहे। **श्री एम. अनिल**, महाप्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति राजस्थान के संयोजन में आयोजित इस बैठक में श्री रणजीव शंकर, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक जयपुर, श्रीमती स्वागत रणवीरचंद भंडारी, निदेशक, वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार (ऑनलाइन), डॉ रवि कुमार सुरपुर, शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार, श्रीमती टीना सोनी, सचिव, वित्त (व्यय विभाग), राजस्थान सरकार, श्रीमती नेहा गिरि, निदेशक, राज्य मिशन निदेशक, आजीविका परियोजना एवं एसएचजी, राजस्थान सरकार, श्री शरद मेहरा, महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान सरकार, श्री वी. के. सिंह, अतिरिक्त महानिदेशक, साइबर अपराध, राजस्थान पुलिस, डॉ. आर रवि बाबू, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, जयपुर, श्री विकास अग्रवाल, महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, जयपुर, श्री विजय राणा, उप-महाप्रबंधक, नाबार्ड जयपुर सहित केंद्र व राज्य के उच्चाधिकारियों, बीमा कम्पनियों तथा अन्य बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों द्वारा सहभागिता की गई। **(संलग्न सूची के अनुसार)**

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सर्वप्रथम मंच पर विराजमान गणमान्यों व राज्य सरकार के अधिकारी-गण, सभी बैंकर्स, बीमा कंपनियों के अधिकारियों एवं समिति की बैठक में शामिल समस्त अतिथियों का राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 168 वीं बैठक में स्वागत एवं अभिनंदन किया।

उन्होने बैठक में सभी मुद्दों पर सार्थक चर्चा का आग्रह करते हुए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान के अध्यक्ष एवं कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा को मुख्य उद्बोधन हेतु आमंत्रित किया।

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सदन को निम्नानुसार संबोधित किया-

उन्होंने बताया कि सितंबर 2025 तिमाही की तुलना में दिसंबर 2025 तिमाही में राजस्थान राज्य ने सरकार प्रायोजित

उन्होने **राजस्थान सरकार के पास समाधान हेतु लंबित बैंकों से संबन्धित निम्नलिखित मुद्दों** पर बैठक के दौरान राज्य सरकार से उचित समाधान प्राप्त होने की आशा व्यक्त की।

- राजस्थान वित्त अधिनियम, 2024 के अंतर्गत Letter of Acknowledgement of Debt (बैलेंस कन्फ़र्मेशन लेटर) पर स्टाम्प शुल्क रु. 10 से बढ़ाकर रु. 500 कर दिया गया है, जिससे किसानों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है। सभी बैंको की तरफ से एसएलबीसी द्वारा राज्य सरकार से आग्रह किया गया है कि कृषि एवं एमएसएमई ऋणों पर यह शुल्क पूर्णतः माफ किया जाए।
- राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM) विभाग द्वारा प्रशिक्षण व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु लगभग रु. 80.88 करोड़ की दावा राशि अब तक जारी नहीं की गई है, जबकि 167वीं SLBC बैठक में ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा 15 दिनों में भुगतान का आश्वासन दिया गया था।
- राको-रोडा और सरफेसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत लंबित मामलों के निस्तारण में प्रशासनिक सहयोग की कमी से बैंकों की वसूली प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। उपसमिति (बैंक ऋण वसूली) की बैठक भी जून 2023 से आयोजित नहीं हो सकी है, जो अत्यंत चिंताजनक है।
- जिला प्रशासन द्वारा बैंक शाखाओं में ग्लो साइन बोर्ड प्रदर्शित करने पर शुल्क लिया जा रहा है, जबकि बैंकिंग उद्योग को भारत सरकार ने सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया है। ऐसे में इन शुल्कों से छूट दी जानी चाहिए।

(कार्यवाही: संबंधित राज्य सरकार के विभाग)

मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार ने सदन को संबोधित करते हुए बताया कि:-

- राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) की हाल ही में आयोजित विशेष बैठक तथा नाबार्ड की बैठक में भागीदारी के दौरान यह अवलोकन किया गया कि राजस्थान में बैंकिंग नेटवर्क काफी सुदृढ़ है। वर्तमान में राज्य में कुल 9,376 बैंक शाखाएँ संचालित हैं, जिनमें लगभग 6,600 वाणिज्यिक बैंक शाखाएँ तथा 1,596 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) शाखाएँ शामिल हैं। यह एक व्यापक बैंकिंग नेटवर्क को दर्शाता है।
- राज्य में जमा (Deposits) की स्थिति भी संतोषजनक है तथा इसमें निरंतर वृद्धि देखी जा रही है। ऋण वितरण (Credit Deployment) में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि, अभी भी राज्य में 1,324 गाँव ऐसे हैं जहाँ बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध नहीं हैं। इस दिशा में SLBC से अनुरोध है कि इस कार्य को विशेष प्राथमिकता देते हुए इन गाँवों तक शीघ्रातिशीघ्र बैंकिंग सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करनी होगी, ताकि वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को पूर्ण रूप से प्राप्त किया जा सके।

(कार्यवाही: राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति)

- प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (Priority Sector Credit) के संदर्भ में नाबार्ड द्वारा तैयार किया गया फोकस पेपर महत्वपूर्ण है और सभी बैंकों को इसका अध्ययन करना चाहिए। वर्ष 2026-27 के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण की संभावित आवश्यकता 4.88 लाख करोड़ रुपये आंकी गई है। इसके साथ ही यदि राज्य के बजट में अनुमानित 6.11 लाख करोड़ रुपये के प्रावधान को जोड़ा जाए, तो राज्य में वित्तीय प्रवाह की मात्रा काफी बड़ी होगी। सभी बैंकों से यह अपेक्षित है कि वर्ष 2026-27 में बैंकिंग क्षेत्र के माध्यम से ऋण वितरण मजबूत, समयबद्ध तथा गुणवत्तापूर्ण होगा।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- जिला एवं संभाग स्तर पर इसकी प्रभावी निगरानी के लिए विभिन्न निगरानी समितियों को सक्रिय किया जाना आवश्यक है, ताकि नाबार्ड द्वारा आंकी गई 4.88 लाख करोड़ रुपये की ऋण संभाव्यता को पूरा किया जा सके। इसके लिए जिला स्तर की समीक्षा समिति (DLRC) की बैठकों का समयबद्ध आयोजना भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए, जिसके लिए जिला कलेक्टरों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएँ।

(कार्यवाही: आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार)

- नाबार्ड के अनुसार, 4.88 लाख करोड़ रुपये की संभावित ऋण राशि में से 2.24 लाख करोड़ रुपये कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए तथा 2.27 लाख करोड़ रुपये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र के लिए निर्धारित हैं। यह भी पाया गया कि राजस्थान में पशुपालन क्षेत्र के लिए ऋण आकलन कृषि क्षेत्र से थोड़ा अधिक (लगभग 46%) है, जबकि कृषि क्षेत्र का हिस्सा लगभग 44% है। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है और कृषि एवं गैर-कृषि गतिविधियों के बीच सभी बैंकों के द्वारा संतुलित ऋण वितरण किया जाना चाहिए।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- बैंकिंग आँकड़ों के अनुसार वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कुल अग्रिम (Advances) में वृद्धि हुई है, जो सकारात्मक संकेत है। हालांकि, विश्लेषण से यह भी सामने आया है कि कुछ बैंकों में क्रेडिट-डिपॉजिट अनुपात (CD Ratio) अपेक्षाकृत कम है। सभी बैंकों से अनुरोध है कि अपने शीर्ष प्रबंधन के साथ इस विषय की समीक्षा कर सुधार करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- MSME क्षेत्र में नए ऋण (New Credit) के प्रवाह पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यह जानना आवश्यक है कि MSME क्षेत्र में वास्तव में कितना नया ऋण प्रवाहित हो रहा है। विशेष रूप से एक जिला एक उत्पाद (ODOP) क्षेत्रों में, जहाँ कृषि प्रसंस्करण उद्योगों से संबंधित कई आवेदन लंबित हैं, सभी बैंकों से अनुरोध है कि इन आवेदनों में शीघ्र कार्रवाई करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- राज्य में कई बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट (BC) निष्क्रिय हैं। निष्क्रिय BC की संख्या अधिक होना चिंता का विषय है और सभी बैंकों के द्वारा इस पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- राज्य सरकार द्वारा निर्धारित विकास प्राथमिकताओं के अंतर्गत PM-KUSUM योजना में राजस्थान ने उल्लेखनीय प्रगति की है। बैंकों से अनुरोध है कि वे इस योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों पर प्राथमिकता से कार्रवाई करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- पीएम सूर्यघर मुफ़्त बिजली योजना तथा पीएम स्वनिधि योजना की भी अन्तरिम समीक्षा की गई है। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत विशेष रूप से पंजाब नैशनल बैंक में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) की संख्या अधिक पाई गई है। इस संबंध में बैंक के अधिकारियों से समीक्षा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया गया है।

(कार्यवाही: पंजाब नैशनल बैंक)

- जिला स्तर पर प्रदर्शन की बेहतर निगरानी के लिए जिला-वार प्रगति तैयार किए जाने की आवश्यकता है। SLBC से अनुरोध है कि अगली बैठक में डेटा प्रस्तुति के साथ-साथ स्पष्ट और व्यवस्थित जिला-वार प्रगति भी प्रस्तुत किए जाएँ। प्रस्तुति के दौरान यह भी देखा गया कि नवगठित जिलों का प्रदर्शन अपेक्षाकृत कम है, इसलिए इन जिलों में ऋण प्रवाह बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

(कार्यवाही: राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति एवं समस्त सदस्य बैंक)

- सरकारी योजनाओं में यह पाया गया कि पीएम विश्वकर्मा योजना में लगभग 60 प्रतिशत, PM-FME योजना में 58 प्रतिशत, तथा पीएम सूर्यघर मुफ़्त बिजली योजना में लगभग 39 प्रतिशत प्रगति हुई है। हालांकि इसमें कुछ सुधार हुआ है, फिर भी सभी सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन में और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- आगामी एसएलबीसी बैठक में साइबर अपराधों तथा बैंकिंग धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए किए गए कार्यों की समीक्षा भी प्रस्तुत की जानी चाहिए। इस विषय में राज्य के साइबर अपराध, राजस्थान पुलिस का सहयोग लिया जा सकता है।

(कार्यवाही: राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति)

- 167 वीं एसएलबीसी बैठक में सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं में ऋण वितरण में तेजी लाने के निर्देश दिए गए थे, परंतु यह पाया गया कि अभी भी बड़ी संख्या में आवेदन 90 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं। अतः सभी बैंकों के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि ऋण आवेदन समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से निस्तारित हों।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- नाबार्ड द्वारा आयोजित कार्यशाला में कई प्रगतिशील किसानों की उपलब्धियों को प्रस्तुत किया गया। विशेष रूप से पॉलीहाउस, ड्रिप सिंचाई तथा समयबद्ध ऋण उपलब्धता के माध्यम से किसानों ने उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त किए हैं। यह अनुभव दर्शाता है कि आधुनिक तकनीक और समय पर वित्तीय सहयोग से कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय सुधार संभव है। अतः एसएलबीसी बैठकों में केवल आँकड़ों की प्रस्तुति तक सीमित न रहकर, सफलता की कहानियों (Success Stories) विशेषकर प्राथमिकता क्षेत्र ऋण तथा MSME ऋण संबन्धित, साझा किया जाना चाहिए।

(कार्यवाही: राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति)

- विशेष रूप से "वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP)" पहल के अंतर्गत बैंकों को अपने-अपने जिलों से सफल उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए। आगामी बैठक में यह अपेक्षा की जाती है कि भारतीय स्टेट बैंक प्रत्येक जिले से कम से कम 10 सफलता की कहानियाँ प्रस्तुत करे। इसी प्रकार पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा तथा राजस्थान ग्रामीण बैंक को भी अपने-अपने स्तर पर सफल उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए।

(कार्यवाही: भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा तथा राजस्थान ग्रामीण बैंक)

- इसके अतिरिक्त महिला उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराने पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। नाबार्ड कार्यशाला में कई महिला कृषि उद्यमियों को सम्मानित किया गया, जो प्रेरणादायक उदाहरण हैं। राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए निम्नलिखित वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं: 5,000 राजीविका बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट, 1,000 बैंक सखी, 1,200 महिला उद्यमी (मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना)। इन लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से प्राप्त करने के लिए इन्हें सभी बैंकों को उचित कार्ययोजना बनाकर कार्य करना चाहिए।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- भारतीय स्टेट बैंक से अनुरोध है कि MSME एवं एक जिला एक उत्पाद (ODOP) विषय पर एक विशेष कार्यशाला आयोजित की जाए, जिसमें लीड बैंक तथा भारतीय रिजर्व बैंक भी भागीदारी करें, ताकि सफल उद्यमियों के अनुभव साझा किए जा सकें।

(कार्यवाही: भारतीय स्टेट बैंक)

मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड ने सदन को संबोधित करते हुए अवगत करवाया कि :-

- वर्तमान वित्तीय वर्ष में ई-एनडब्ल्यूआर वित्तपोषण हेतु 3000 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसे वित्तीय वर्ष के मध्य में डीएफएस द्वारा भी संप्रेषित किया गया। तथापि, अब तक मात्र 283 करोड़ रुपये की उपलब्धि दर्ज की गई है। इस राज्य में जलवायु संवेदनशीलता एक प्रमुख चुनौती है। ऐसे परिप्रेक्ष्य में ई-एनडब्ल्यूआर वित्तपोषण न केवल बैंकों के लिए जोखिम को कम करता है, बल्कि किसानों को भी सुरक्षा प्रदान करता है। उन्होंने सभी बैंकों से अनुरोध किया कि ई-एनडब्ल्यूआर वित्तपोषण के अंतर्गत ऋण प्रवाह को और अधिक सुदृढ़ एवं विस्तारित किया जाए।
- इस वर्ष को 'अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष' के रूप में नामित किया गया है। अतः सभी बैंकों से आग्रह है कि इस अवसर का उपयोग करते हुए महिला किसानों को संगठित कर, स्वयं सहायता समूह के वित्तपोषण को प्राथमिकता दी जाए।
- उन्होंने जेएलजी में राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रदर्शन पर चिंता व्यक्त की तथा बताया कि निजी बैंक इस संभावित अवसर का लाभ उठा रहे हैं, जबकि राष्ट्रीयकृत बैंकों को इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।
- हाल ही में राज्य फोकस पेपर प्रस्तुत करते समय यह तथ्य सामने आया कि कृषि जीडीपी का लगभग 46 प्रतिशत पशुपालन एवं संबद्ध गतिविधियों से प्राप्त हो रहा है। प्रश्न यह है कि क्या वास्तव में इन क्षेत्रों में ऋण प्रवाह हो रहा है? डीएफएस ने इस वित्तीय वर्ष (2025-26) में पहली बार पशुपालन एवं संबद्ध गतिविधियों के लिए विशेष लक्ष्य निर्धारित किया है, जो इस राज्य के लिए 31,500 करोड़ रुपये है। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हमारे पास ऐसा डेटा उपलब्ध नहीं है जो उप-क्षेत्रवार ऋण प्रवाह को स्पष्ट रूप से दर्शा सके। सभी बैंकों को प्रगति का आकलन करने के लिए अपने सीबीएस (CBS) की समीक्षा करनी होगी और उप-क्षेत्रवार ऋण प्रवाह की रिपोर्टिंग व्यवस्था विकसित करनी होगी। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि पशुपालन एवं संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण प्रवाह वास्तव में हो रहा है, सभी डेयरी किसानों को पशुपालन हेतु पात्र केसीसी (KCC) उपलब्ध कराए जा रहे हैं, तथा केसीसी वितरण की स्थिति का सही आकलन किया जा रहा है।
- एटीएल (Agriculture Term Lending) को बढ़ाने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, अखिल भारतीय स्तर पर आदर्श रूप से कृषि ऋण का लगभग 40 प्रतिशत निवेश ऋण गतिविधियों में प्रवाहित होना अपेक्षित है। पूर्व वित्तीय वर्षों में इस लक्ष्य को प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण रहा, किंतु वर्तमान में हम 34 प्रतिशत तक पहुँच चुके हैं, जो सराहनीय उपलब्धि है, परंतु अभी भी 40 प्रतिशत के आदर्श स्तर तक पहुँचने हेतु और अधिक प्रयासों की आवश्यकता हैं। कुछ राज्यों में कृषि ऋण का एटीएल अनुपात 60 प्रतिशत से भी अधिक है, जो अन्य राज्यों के लिए प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत करता है।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक ने सदन को संबोधित करते हुए सूचित किया कि:-

- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आगामी पाँच वर्षों (2025–2030) के लिए राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन रणनीति (NSFI) तैयार की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य वित्तीय समावेशन को सुदृढ़ करना तथा समावेशी विकास को बढ़ावा देना है। इसका प्रमुख लक्ष्य प्रत्येक नागरिक तक सार्वभौमिक रूप से वित्तीय सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु राज्य के सभी अनबैंक्ड केंद्रों तक अगले पाँच वर्षों में बैंकिंग सेवाओं की पहुँच को सुनिश्चित किया जाना है। इसके लिए बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स, डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स तथा अन्य उपयुक्त माध्यमों

से कवरेज बढ़ाई जाएगी। सभी बैंकों से अनुरोध किया कि वे अपने-अपने क्षेत्र में उपलब्ध बैंकिंग सुविधाओं की समीक्षा कर जहाँ भी कमी हो, उसे प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करें।

- वित्तीय समावेशन का महत्वपूर्ण पक्ष लैंगिक-संवेदनशील दृष्टिकोण से संबंधित है। NSFI के अंतर्गत सुनिश्चित किया जाना है कि बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स में महिलाओं की न्यूनतम 30 प्रतिशत भागीदारी दिसंबर 2028 तक सभी बैंको के द्वारा प्राप्त कर ली जाए। इस दिशा में क्रमशः दिसंबर 2026 तक 20 प्रतिशत तथा दिसंबर 2027 तक 25 प्रतिशत का अंतरिम लक्ष्य निर्धारित किया गया है। "बीसी सखी" एवं "राजीविका" जैसी पहलें इस उद्देश्य की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। अतः सभी बैंक इस विषय को प्राथमिकता देते हुए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु ठोस प्रयास करें।
- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दो प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें प्रथम है री-केवाईसी (Re-KYC), क्योंकि राज्य में विशेषकर जनधन खातों का री-केवाईसी बड़े पैमाने पर लंबित है। 28 नवंबर 2025 तक लगभग 39 लाख खाते लंबित पाए गए, जिनमें से मात्र लगभग 6 लाख खातों का री-केवाईसी हो सका है। यह केवल 15 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय औसत से कम है। अन्य राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश एवं बिहार का प्रदर्शन अपेक्षाकृत बेहतर रहा है। अतः यह आवश्यक है कि सभी बैंक इस विषय को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें तथा राज्य का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से ऊपर लाने हेतु विशेष अभियान चलाएँ।
- दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र दावारहित बैंक जमा (Unclaimed Deposit) से संबंधित है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक एवं भारत सरकार दोनों की प्राथमिकताओं में शामिल है। राजस्थान राज्य में लगभग 1,868 करोड़ रुपये के दावारहित बैंक जमा उपलब्ध हैं, जिनमें से अब तक केवल लगभग 6.7 प्रतिशत राशि ही संबंधित हितग्राहियों को लौटाई जा सकी है जो कि संतोषजनक स्थिति नहीं है। सभी बैंक से अनुरोध है कि अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं की समीक्षा कर ऐसे खातों की पहचान, सत्यापन एवं दावों के निस्तारण की प्रक्रिया मे तेजी लाएँ, ताकि यह राशि उसके वास्तविक हकदारों को शीघ्र लौटाई जा सके।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- विकासात्मक पहलों के अंतर्गत यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफ़ेस (ULI) का उल्लेख भी आवश्यक है, जिसे ऋण वितरण प्रणाली को सरल एवं तीव्र बनाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। राजस्थान में भूमि अभिलेखों के साथ ULI के एकीकरण को राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। राजस्व विभाग, राज्य सरकार से अपेक्षित है कि इसे शीघ्र क्रियान्वित किया जाए। इसके लागू होने से ऋण स्वीकृति प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, त्वरित एवं प्रभावी बनेगी, जो राज्य तथा SLBC के सभी हितधारकों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी।

(कार्यवाही: राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार)

- वित्तीय साक्षरता केंद्रों (FLCs) की स्थिति पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अनेक केंद्रों पर लंबे समय से रिक्तियाँ बनी हुई हैं तथा पर्याप्त प्रशिक्षक एवं स्टाफ उपलब्ध नहीं हैं, जो चिंता का विषय है। संबंधित बैंकों से अनुरोध है कि इन रिक्तियों में पर्याप्त प्रशिक्षक एवं स्टाफ को नियुक्त करने की कार्यवाही करें, ताकि वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम प्रभावी रूप से संचालित हो सकें।
- उन्होने बैंको से आग्रह किया कि राज्य के सभी बैंक सामूहिक प्रयासों से वित्तीय समावेशन के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करें तथा "विकसित राजस्थान @ 2047" के लक्ष्य में सक्रिय एवं निर्णायक योगदान दें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

प्रारंभिक उद्बोधन के उपरांत उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने मंचासीन सदस्यों एवं उपस्थित अन्य सदस्यों का अभिवादन करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति पश्चात बैठक के विभिन्न कार्यवाही बिन्दुओं पर प्रस्तुतीकरण आरंभ किया।

Confirmation of Minutes of 167th SLBC Meeting

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सर्वप्रथम बताया कि दिनांक 19.11.2025 को आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 28.11.2025 को समस्त हितधारकों को प्रेषित किए गए हैं। किसी

भी हितधारक से कार्यवृत में संशोधन बदलाव हेतु अनुरोध प्राप्त नही हुआ है। तत्पश्चात उन्होने कार्यवृत्त की पुष्टि किए जाने का अनुरोध किया। बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों ने कार्यवृत की पुष्टि की।

Action Taken Report

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने 167 वीं एसएलबीसी की बैठक के कार्यवाही बिन्दुओं (ATRs) के संबंध में हुई अद्यतन कार्यवाही से सदन को अवगत करवाया।

ATR No. 1 – BC Inactivity of Fino Payments Bank, India Post Payment Bank & Airtel Payment Bank:

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि पेमेंट बैंकों के निष्क्रिय बिज़नेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स की संख्या चिंता का विषय बनी हुई है क्योंकि पिछले तीन तिमाहियों से इसमें कोई सुधार नहीं हुआ है।

प्रतिनिधि फिनो पेमेंट्स बैंक ने समिति को सूचित किया कि कुछ बिज़नेस करेस्पॉन्डेंट्स (BCs) को बैंक से बाहर करने की योजना भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की गई है।

महा प्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि बिज़नेस करेस्पॉन्डेंट्स (BCs) को बैंक से बाहर करने की योजना के साथ साथ फिनो पेमेंट्स बैंक निष्क्रिय बिज़नेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स को पुन: सक्रिय करने एवं नये बिज़नेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स नियुक्त करने कि योजना पर भी कार्य करें।

(कार्यवाही: फिनो पेमेंट्स बैंक)

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सभी पेमेंट बैंकों से निष्क्रिय बिज़नेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स को सक्रिय करने की विस्तृत कार्ययोजना पर कार्य करने एवं कार्ययोजना को SLBC को प्रस्तुत करने का आग्रह किया।

(कार्यवाही: फिनो पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक एवं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक)

ATR No. 2 – Digital Literacy and Digital Payments Campaign:

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि 167वीं बैठक में मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार ने एस.एल.बी.सी. को राजस्थान राज्य में डिजिटल साक्षरता एवं डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने हेतु एक व्यापक अभियान प्रारंभ करने की सलाह दी थी। एस.एल.बी.सी. राजस्थान ने पत्र क्रमांक JZ:SLBC:2025-26:1076 दिनांक 13.01.2026 के माध्यम से 'स्मार्ट बैंकिंग, सुरक्षित बैंकिंग' राज्यव्यापी अभियान का शुभारंभ किया है। इस पहल के अंतर्गत समस्त बैंकों, आर सेटी तथा एफ.एल.सी. के सहयोग से कुल 4,510 शिविर आयोजित किए गए, जिनमें 1,41,745 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस अभियान का उद्देश्य आमजन को सुरक्षित एवं स्मार्ट तरीके से डिजिटल बैंकिंग अपनाने हेतु प्रोत्साहित करना है।

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने 'स्मार्ट बैंकिंग, सुरक्षित बैंकिंग' अभियान के लिए सभी बैंकों को शुभकामनाएँ प्रेषित की तथा यह स्पष्ट किया कि यह एक बार का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि निरंतर चलने वाली गतिविधि है। उन्होंने सभी बैंकों से आग्रह किया कि वे अपने ग्राहकों को डिजिटल साक्षरता एवं सुरक्षित बैंकिंग के विषय में लगातार शिक्षित करते रहें।

ATR No. 3- R-SETI Land allotment & building construction issues pending with the State Government:

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि इन सभी आर-सेटी संस्थानों में भूमि आवंटन एवं भवन निर्माण संबंधी मुद्दे वर्तमान में राज्य सरकार स्तर पर लंबित हैं:

- आर-सेटी, अलवर (पंजाब नेशनल बैंक) – वर्ष 2005 से
- आर-सेटी, भरतपुर (पंजाब नेशनल बैंक) – वर्ष 2010 से

- आर-सेटी, जालोर (स्टेट बैंक ऑफ इंडिया) – वर्ष 2016 से
- आर-सेटी, डूंगरपुर (बैंक ऑफ बड़ौदा) – वर्ष 2019 से
- आर-सेटी, सिरोही (स्टेट बैंक ऑफ इंडिया) – वर्ष 2019 से
- आर-सेटी, पाली (स्टेट बैंक ऑफ इंडिया) – वर्ष 2022 से
- आर-सेटी, चित्तौड़गढ़ (बैंक ऑफ बड़ौदा) – वर्ष 2010 से
- आर-सेटी, फलौदी (यूको बैंक) – वर्ष 2024 से
- आर-सेटी, डीडवाना–कुचामन (यूको बैंक) – वर्ष 2024 से

निदेशक, राज्य मिशन निदेशक, आजीविका परियोजना एवं एसएचजी, राजस्थान सरकार ने समिति को सूचित किया कि हाल ही में जिला प्रसाशन तथा बैंक अधिकारियों, विशेषकर संबंधित जिलों के अग्रणी जिला प्रबंधकों के साथ इस मुद्दे पर बैठक की गई है जिसके अनुसार:-

- **आर-सेटी, अलवर:** यहाँ मामला राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार के स्तर पर लंबित है। हम शीघ्र समाधान हेतु लगातार विभाग से संपर्क कर रहे हैं।
- **आर-सेटी, भरतपुर:** भरतपुर में जिस भूमि की पहचान की गई थी, वह यूआईटी क्षेत्र के अधीन आती है। नीति नियमों के अनुसार केवल 10–12 श्रेणियों की भूमि ही बिना शुल्क आवंटित की जा सकती है, और ये श्रेणियाँ यूआईटी नीति के अंतर्गत समावेशित नहीं हैं। अतः भरतपुर कलेक्टर एवं लीड बैंक मैनेजर को अन्य उपयुक्त भूमि की पहचान करने के निर्देश दिए गए हैं।
- **आर-सेटी, पाली:** प्रारंभ में भूमि यूआईटी क्षेत्र में चिन्हित की गई थी, किंतु अब अन्य भूमि की पहचान की जा रही है। इस विषय पर लीड बैंक मैनेजर एवं जिला प्रसाशन से भी चर्चा की गई है।
- **आर-सेटी, जालोर:** जालोर में जिस भूमि की पहचान की गई थी, उस पर न्यायालय में मामला लंबित है। यहाँ पर लीड बैंक मैनेजर एवं जिला प्रसाशन को निर्देश दिए हैं कि ऐसी भूमि पर निर्भर न रहें और नई भूमि की पहचान करें। राज्य स्तरीय टीम भी होली के बाद जालोर का दौरा करेगी।
- **आर-सेटी, चित्तौड़गढ़**: यहाँ भी भूमि यूआईटी क्षेत्र में चिन्हित की गई थी। चूँकि यूआईटी नीति में आरसेटी हेतु शुल्क माफी की कोई विशेष नीति नहीं है, अतः लीड बैंक मैनेजर एवं जिला प्रसाशन को अन्य भूमि की पहचान करने के निर्देश दिए गए हैं।
- **आर-सेटी, सिरोही:** यहाँ आर-सेटी शुल्क माफी का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। संबंधित बैंक ने न्यायालय में याचिका दायर की है और उन्हें स्थगन आदेश प्राप्त हुआ है। आगामी सुनवाई में अंतरिम निर्णय की संभावना है।
- **आर-सेटी, फलौदी**: यहाँ के अग्रणी जिला प्रबंधक को स्थिति की जानकारी नहीं थी। फलौदी जिला कलेक्टर (जो जोधपुर के भी प्रभारी हैं) को मामले की जाँच हेतु निर्देश दिए गए हैं।
- **आर-सेटी, डीडवाना:** यहाँ भूमि आवंटन की प्रक्रिया में जिला प्रशासन एवं अग्रणी जिला प्रबंधक की सक्रिय भागीदारी अपेक्षित स्तर पर नहीं रही, जिसके कारण प्रकरण लंबित है। इस विषय को हमारे विभाग द्वारा प्राथमिकता पर लिया गया है एवं निर्णय लिया है कि सीधे जिला कलेक्टर से चर्चा की जाएगी, क्योंकि भूमि की पहचान जिला प्रशासन द्वारा ही की जानी है। अब भूमि पहचान की दिशा में कार्यवाही तेज़ी से आगे बढ़ रही है और हम इसे सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रहे हैं।
- **आर-सेटी, सलूम्बर एवं बालोतरा:** यहाँ नई आरसेटी हेतु प्रक्रिया अभी प्रारंभ नहीं हुई है।
- **अन्य लंबित मामले:** चार प्रकरण अभी भी ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) स्तर पर लंबित हैं, जिनका हम लगातार अनुवर्तन (follow up) कर रहे हैं।
- उन्होंने बताया कि जब भी आर-सेटी हेतु भूमि आवंटन के प्रस्ताव राजस्व विभाग या नगरीय विकास विभाग को भेजे जाते हैं, विशेषकर यूआईटी क्षेत्र की भूमि के मामले में परीक्षण प्रकरण-दर-प्रकरण आधार पर किया जाता है। इसी कारण से ऐसे प्रस्ताव लंबे समय तक लंबित रहते हैं और अंततः मंत्रिमंडल स्तर पर जाकर ही निर्णय लिया जाता है अर्थात यदि शुल्क माफी का मामला होता है, तो उसकी स्वीकृति भी कैबिनेट द्वारा ही दी जाती है।

इस स्थिति को देखते हुए विभाग द्वारा आग्रह किया गया है कि भूमि की पहचान यूआईटी क्षेत्र से बाहर की जाए, ताकि प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब न हो।

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि

- यदि किसी जिले में भूमि संबंधी प्रकरण काफी समय से लंबित है और उस भूमि पर विवाद या चुनौती बनी हुई है, तो संबंधित अग्रणी जिला प्रबंधक एवं बैंक से सीधे संवाद किया जाए। जब इस विषय पर उच्च स्तर पर चर्चा एवं समीक्षा हो चुकी है, तो अपेक्षित है कि संबंधित बैंक एवं अग्रणी जिला प्रबंधक सक्रियता दिखाएँ और वैकल्पिक समाधान खोजें।

(कार्यवाही: संबंधित आर-सेटी अग्रणी जिला प्रबंधक एवं बैंक)

- उन्होंने SIBC से अनुरोध किया कि इस विषय की आंतरिक समीक्षा की जाए एवं संबंधित अग्रणी जिला प्रबंधकों एवं बैंकों से चर्चा कर आवश्यक कदम उठाएँ जाए ताकि यह मुद्दा लंबे समय तक नहीं चले और शीघ्र समाधान की दिशा में आगे बढ़ सके।

(कार्यवाही: राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति)

ATR No. 4. – SMS Notification for Re-KYC of EBT/DBT Beneficiaries:

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर (EBT) अथवा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के लाभार्थियों को एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाए कि वे शीघ्र ही पुनः-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण करें और सरकारी योजनाओं के लाभों का निर्बाध रूप से लाभ उठाते रहें। संयुक्त सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जन आधार लाभार्थियों से संबंधित सात विभागों को पत्र जारी किया जा चुका है। तथापि, इस विषय पर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु एसएलबीसी द्वारा भी इन सात विभागों से संपर्क किया जा रहा है।

ATR No. 5- Bank Branch Expansion in Uncovered Villages:

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि वित्तीय सेवाएँ विभाग (DFS) द्वारा दी गई 75 ग्रामों की सूची में से 41 ग्राम पहले से ही आच्छादित हैं, क्योंकि वे मौजूदा बैंक शाखाओं के पाँच किलोमीटर के दायरे में आते हैं। शेष 34 ग्रामों में नई शाखाओं की स्थापना आवश्यक है। इस संदर्भ में, राजस्थान ग्रामीण बैंक ने SLBC कार्यालय को सूचित किया है कि उसके आवंटित 12 ग्रामों में शाखाएँ खोलने हेतु बोर्ड की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इसके अतिरिक्त, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने भी एक-एक ग्राम में शाखा खोलने की प्रस्तावित तिथि की सूचना प्रदान की है। अन्य सभी बैंकों से अनुरोध है कि शाखा खोलने के इस कार्य को वर्तमान वित्तीय वर्ष के भीतर पूर्ण किया जाए।

ATR No. 6 – Pending SRLM claim:

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने राजीविका विभाग से अनुरोध कई बार किया गया है कि एनआरएलएम लक्षित समूह के अभ्यर्थियों पर आर-सेटी द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु दावों का निपटाया जाए तथा संबंधित राशि बैंकों को उपलब्ध कराई जाए। वर्तमान में एसआरएलएम के ₹80.87 करोड़ के दावे लंबित हैं। विभाग से अनुरोध है कि इन दावों का शीघ्र निपटारा कर संबंधित बैंकों को राशि प्रदान की जाए।

निदेशक, राज्य मिशन निदेशक, आजीविका परियोजना एवं एसएचजी, राजस्थान सरकार ने समिति को सूचित किया कि

- ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) द्वारा आश्वासन दिया गया है कि वर्ष 2019 से अब तक संचित कुल ₹80 करोड़ के दावे का निपटारा किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु लगभग ₹26 करोड़ का दावा प्रस्तुत किया गया

था, जिसके विरुद्ध MoRD द्वारा ₹28 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई और दिसंबर माह में ही जिलों को हस्तांतरित कर दी गई। तथापि, अब तक लगभग ₹5 करोड़ ही आर सेटी खाते में समायोजित हो पाए हैं, जबकि लगभग ₹14 करोड़ के बिल विभिन्न विभागीय स्तर पर लंबित हैं। इन बिलों के इस सप्ताहांत तक निपट जाने की संभावना है। इसके पश्चात लगभग ₹20 करोड़ की राशि समायोजित होने पर राजविका को अतिरिक्त ₹15 करोड़ प्राप्त होंगे। इस प्रकार मार्च 2025-26 तक लगभग ₹41 करोड़ का निपटारा संभव होगा।

- शेष ₹54 करोड़ के दावे MoRD टीम द्वारा राजस्थान भ्रमण के उपरांत निपटाए जाएंगे। MoRD ने सूचित किया है कि वर्ष 2023-24 से पूर्व के सभी दावे समय-सीमा से बाहर हो चुके हैं। MIS प्रविष्टियों में पूर्व में केवल BPL श्रेणी सम्मिलित थी, जबकि अब अन्य सात श्रेणियाँ (जैसे NRLM, SAG, PMAY, PDS लाभार्थी आदि) भी सम्मिलित की गई हैं।
- वर्तमान में वित्त विभाग के स्तर पर ₹30 करोड़ से अधिक के बिल लंबित हैं, जिनके निपटान हेतु प्रतिदिन प्रयास किए जा रहे हैं। MoRD द्वारा व्यय की समीक्षा नियमित रूप से की जा रही है और प्रथम तिमाही, आगामी वित्तीय वर्ष के अंत तक सभी लंबित दावों के निपटान की आशा है।

ATR No. 7- Special SLBC Meetings:

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि 167वीं बैठक मे माननीय मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार द्वारा SLBC को मार्च 2026 से पूर्व कुछ सरकारी प्रायोजित योजनाओं की विशेष समीक्षा बैठकें आयोजित करने की सलाह दी गई है। जिसके अनुसार, मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की समीक्षा बैठक 13 जनवरी 2026 को आयोजित की गई। इसके पश्चात प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की समीक्षा बैठक 21 जनवरी 2026 को तथा 27 जनवरी 2026 को विशेष बजट पूर्व की बैठक आयोजित की गई। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री औपचारिक सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम (PMFME) योजना की समीक्षा बैठक 3 फरवरी 2026 को संपन्न हुई।

ATR No. 8 – Waiver in Glow Sign Board Charges (Pending since June 2017):

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि ग्लो साइन बोर्ड शुल्क की माफी का विषय **जून 2017 से लंबित है।** इस संबंध में राज्य सरकार के संबंधित विभाग से उत्तर अपेक्षित है। चूँकि भारत सरकार द्वारा बैंकों को सार्वजनिक उपयोगिता घोषित किया गया है, अतः राज्य सरकार से पुनः अनुरोध है कि लगाए गए शुल्क को माफ करने पर विचार किया जाए।

ATR No. 9 – Issue other than ATR- Registration (Rajasthan Amendment) Act, 2021:

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि:-

- वित्त विभाग (कर), राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 02.12.2025 के पत्र के माध्यम से SLBC को सूचित किया गया कि 02.12.2025 के पश्चात नये ऋणों में संपत्ति दस्तावेज़ बंधकों के ई-पंजीयन में विलंब होने पर ऋणदाताओं पर जुर्मानें का प्रावधान किया गया है। चूँकि ई-पंजीयन पोर्टल वर्तमान में केवल अजमेर जिले में पायलट आधार पर संचालित है, अतः **अनुरोध है कि जुर्मानें के प्रावधान को राज्यभर में पोर्टल के पूर्ण रूप से क्रियाशील होने तक लागू न किया जाए** तथा इस संबंध में पृथक अधिसूचना जारी की जाए।
- बंधक पंजीयन शुल्क— पूर्व में यह ऋण राशि का 1% अथवा अधिकतम ₹25,000/- था। बजट 2026 में इसे संशोधित कर ऋण राशि का 0.5% अथवा अधिकतम ₹1,00,000/- कर दिया गया है।
- MSME पर स्टाम्प शुल्क— पूर्व में प्रत्येक ऋण दस्तावेज़ पर ₹100/- तथा बंधक पर ₹500/- था। अब इसे संशोधित कर ऋण राशि का 0.125% अथवा अधिकतम ₹10,00,000/- कर दिया गया है।

महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान सरकार ने सूचित किया कि:-

- अजमेर में विभाग के द्वारा पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया है, साथ ही सॉफ्टवेयर में एक नया मॉड्यूल विकसित किया गया है। इस मॉड्यूल का उद्देश्य यह है कि बैंक शाखा में ही रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके

और संबंधित पक्षों को कार्यालय आने की आवश्यकता न पड़े। साथ ही, ऑफलाइन विकल्प भी खुला रखा गया है।

- उन्होंने सभी बैंकों से आग्रह किया कि यदि किसी बैंक शाखा में दस्तावेज़ों की संख्या अधिक हो, तो शाखा द्वारा एस.आर. को सूचित करने पर बैंक शाखा में ही कैंप आयोजित किया जा सकता है।
- अन्य ज़िलों में यह प्रक्रिया मार्च माह से प्रारंभ की जा सकती है। प्रस्ताव है कि अगले महीने जयपुर को छोड़कर सभी ज़िलों में इसे लागू किया जाए।
- उन्होंने सभी बैंकों से अनुरोध किया कि सभी बैंक अपनी शाखाओं को शीघ्रता से यूज़र आईडी एवं सब-यूज़र आईडी बनाकर दस्तावेज़ अपलोड करना प्रारंभ करें।
- उन्होंने सूचित किया कि पेनल्टी संबंधी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। अतः इस विषय पर बैंकों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान मे विभाग का उद्देश्य केवल सिस्टम को स्थापित करना है, जिसके लिए सभी बैंकों का सहयोग अपेक्षित है।

(कार्यवाही: सभी सदस्य बैंक)

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि MSME ऋण पर स्टाम्प शुल्क बढ़ने के कारण यदि किसी बैंक या ग्राहक को यह कठिनाई हो रही है कि एवं उन पर अतिरिक्त शुल्क का बोझ पड़ रहा है, तो ऐसे मामलों को बैंकों द्वारा विशिष्ट उदाहरणों सहित संकलित किया जाए। इन मामलों को स्पष्ट डेटा के साथ संप्रेषित किया जाए, ताकि संबंधित विभाग को इस पर पुनः विचार के लिए अनुरोध किया जा सके।

(कार्यवाही: सभी सदस्य बैंक)

Agenda No 1 - Banking at a glance in Rajasthan

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि सभी मापदण्डों में प्रगति निम्नानुसार रही है-

- राज्य में मार्च 2025 के सापेक्ष शाखाओं की संख्या में 219 की वृद्धि के साथ कुल 9,376 शाखाएँ कार्यरत हैं, जिनमे से 66.39 % शाखाएँ ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हैं।
- राज्य में दिसंबर 2025 का CD Ratio 100.70 % रहा है।
- विभिन्न क्षेत्रों में अग्रिम की Y-O-Y वृद्धि निम्नानुसार रही है-
    - Deposits- 10.79%
    - Advances- 13.62%
    - Priority Sector Advances-15.03%
    - Agriculture advances-5.83%
    - MSME Advances-21.77%

Achievement against stipulated benchmark as on 31 December 2025

उप महाप्रबंधक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने अवगत करवाया कि-

- राज्य में सीडी अनुपात में **2.10%** की Y-O-Y वृद्धि हुई है।
- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के बकाया में **रु. 64,278 करोड़** की Y-O-Y वृद्धि हुई है।
- कृषि क्षेत्र के बकाया में **रु. 10,557 करोड़** की Y-O-Y बढ़ोतरी हुई है।
- MSME के अंतर्गत माइक्रो श्रेणी के खातों में **रु 31,834 करोड़** की Y-O-Y बढ़ोतरी हुई है।
- एमएसएमई के खातों की बकाया राशि में **रु. 43,359 करोड़** की Y-O-Y बढ़ोतरी हुई है।

Agenda 2 - Districts wise CD Ratio in Rajasthan

उप महाप्रबंधक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने अवगत करवाया कि-

- राज्य के सभी जिलों का साख जमा अनुपात (CD Ratio) 50% से अधिक हो गया है।
- राज्य मे साख जमा अनुपात (CD Ratio) 70% से कम वाले जिले यथा डूंगरपुर जिला एवं सिरोही जिला है।

(कार्यवाही: अग्रणी जिला प्रबन्धक डूंगरपुर एवं सिरोही)

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की टिप्पणी- CD Ratio के तहत न्यूनतम प्रदर्शन करने वाले ब्लॉक्स में भी संबन्धित अग्रणी ज़िला प्रबन्धक द्वारा उचित कार्ययोजना को अपनाया जाए।

(कार्यवाही: अग्रणी ज़िला प्रबन्धक, बलोतरा, डिडवाना-कूचामन, डूंगरपुर, जालौर, पाली, राजसमंद, सलूम्बर एवं उदयपुर)

Agenda 3 - Comparative Development of Rajasthan from Dec 2024 to Dec 2025

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने दिसंबर 2024 से दिसंबर 2025 के बीच बैंकिंग सेवाओं में तुलनात्मक आकड़ों से अवगत करवाया –

- **प्रति एक लाख जनसंख्या पर बैंकिंग संकेतक:**

- बैंक शाखाएँ: 13.21 से बढ़कर 13.68 हुईं – बैंकिंग पहुँच में सुधार।
- CASA (चालू और बचत खाता): रु. 1,25,031 से रु. 1,34,235 – जमा में वृद्धि।
- जमा राशि: रु. 1,060 करोड़ से रु. 1,175 करोड़ – वित्तीय संसाधनों में वृद्धि।
- ऋण खाते: 29,267 से 29,108 – ऋण वितरण में कमी।
- ऋण राशि: रु. 1,041 करोड़ से रु. 1,183 करोड़ – क्रेडिट आउटफ्लो में सुधार।
- PMJJBY (जीवन बीमा): 31,383 से 42,650 – बीमा कवरेज में उल्लेखनीय वृद्धि।
- PMSBY (दुर्घटना बीमा): 62,252 से 77,117 – बीमा कवरेज में उल्लेखनीय वृद्धि।
- APY (पेंशन योजना): 14,934 से 17,744– पेंशन जागरूकता में वृद्धि।
- PMJDY खाते: 53,184 से 55,452 – वित्तीय समावेशन में निरंतर वृद्धि।
- PMJDY जमा राशि: रु. 27.98 करोड़ से रु. 32.52 करोड़ – जनधन खातों में अधिक सक्रियता।

- **प्रति शाखा और BC पर क्षेत्रीय कवरेज:**

- प्रति शाखा हाउस होल्ड : 1403 से घटकर 1356– सेवा भार में कमी।
- प्रति BC हाउस होल्ड: 153 से बढ़कर 157– BC की पहुँच में सुधार।
- प्रति शाखा क्षेत्रफल: 37.78 से घटकर 36.50 वर्ग किमी – भौगोलिक कवरेज में सुधार।
- प्रति BC क्षेत्रफल: 4.13 से बढ़कर 4.22 वर्ग किमी – BC नेटवर्क में कमी।

Agenda 4 - Deposit to Income Ratio (per Capita) of Rajasthan as on 31 December 2025

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने राज्य में Deposit to Income Ratio (per Capita) की ज़िले-वार स्थिति से सदन को अवगत करवाया एवं अनुरोध किया कि सभी बैंक अधिक-से-अधिक जमा संग्रहण करने हेतु कार्यवाही करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक एवं अग्रणी ज़िला प्रबन्धक)

Agenda 5 - Annual Credit Plan F.Y. 2025-2026

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने अवगत करवाया कि वार्षिक साख योजना 2025-2026 हेतु निर्धारित लक्ष्य **रु. 4,04,002 करोड़** के सापेक्ष 31 दिसंबर, 2025 तक क्षेत्र-वार वार्षिक लक्ष्यों के पेटे उपलब्धि निम्नानुसार रही हैं-

- कृषि क्षेत्र- 74.53%
- MSME क्षेत्र- 86.38%
- अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र- 72.08%
- कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र- 80.50%

Banks having performance below 75% under Annual Credit Plan (ACP) during F.Y. 2025-2026 (upto 31 December 2025)

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने वार्षिक साख योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिसंबर 2025 तक **75%** से कम उपलब्धि वाले बैंक यथा आईडीबीआई बैंक (59.17%), बैंक ऑफ महाराष्ट्र (63.09%), इंडसइंड बैंक (63.57%), एक्सिस बैंक (66.70%), एयू समाल फाइनैन्स बैंक (71.33%), यस बैंक 971.41%), पंजाब एवं सिंध बैंक (72.78%), केनरा बैंक (72.87%), राजस्थान राज्य सहकारी बैंक (73.42%) एवं आइडीएफसी फर्स्ट बैंक (73.47%) से चालू वित्तीय वर्ष में उचित कार्ययोजना बनाकर कार्य किए जाने का अनुरोध किया गया ताकि वार्षिक साख योजनान्तर्गत लक्ष्यों की शत-प्रतिशत उपलब्धि हो सके।

(कार्यवाही: आईडीबीआई बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, एयू समाल फाइनैन्स बैंक, यस बैंक, पंजाब एवं सिंध बैंक, केनरा बैंक, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक एवं आइडीएफसी फर्स्ट बैंक)

प्रतिनिधि, एक्सिस बैंक ने सूचित किया कि कृषि क्षेत्र में पुनर्वर्गीकरण (reclassification) के कारण एसीपी की उपलब्धि में कमी आई है, मार्च 2026 की तिमाही में लक्ष्य प्राप्त कर लिए जाएंगे।

Agenda 6 - Agency-wise Investment Credit as a Percentage of Agriculture Profile (as on 31.12.2025)

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने समिति को अवगत करवाया कि-

- दिनांक 31.12.2025 तक वाणिज्यिक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक एवं स्माल फ़ाइनेंस बैंकों का कुल बकाया कृषि अग्रिम के सापेक्ष बकाया कृषि निवेश ऋण क्रमशः **38.55%, 9.53%, 7.42%** एवं **99.36%** रहा है।
- दिनांक 31.12.2025 तक राज्य का कुल बकाया कृषि अग्रिम के सापेक्ष बकाया कृषि निवेश ऋण **32.96%** है एवं राज्य (राजस्थान ग्रामीण बैंक एवं राजस्थान राज्य सहकारी बैंक के अलावा) कुल बकाया कृषि निवेश ऋण **41.16%** है जो कि मानक स्तर 40% से ज्यादा है।
- दिनांक 31.12.2025 तक राज्य के कुल कृषि ऋण में निवेश ऋण की प्रतिशत **(32.96 %)** से कम प्रतिशत वाले बैंकों यथा राजस्थान स्टेट कॉपरेटिव बैंक (3.83%), सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (11.57%), राजस्थान ग्रामीण बैंक (9.53%), फेडरल बैंक (15.28%), यूको बैंक (15.83%), पंजाब नैशनल बैंक (17.36%), आईडीबीआई बैंक (19.77%), स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (20.33%), केनरा बैंक (20.10%), पंजाब एण्ड सिंध बैंक (23.01%), बैंक ऑफ बड़ौदा (26.78%) इंडियन बैंक (26.93%), एवं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (29.30%) से अनुरोध है किया गया कि कुल कृषि ऋण में कृषि निवेश ऋण प्रतिशत बढ़ाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष में उचित कार्ययोजना बनाते हुए ठोस कार्यवाही करें।

(कार्यवाही: राजस्थान स्टेट कॉपरेटिव बैंक, राजस्थान ग्रामीण बैंक, फेडरल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, पंजाब नैशनल बैंक, आईडीबीआई बैंक, केनरा बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया)

प्रतिनिधि, राजस्थान ग्रामीण बैंक सूचित किया गया कि चालू वित्तीय वर्ष में हमारे बैंक के कृषि निवेश ऋण में रु. 174 करोड़ की वृद्धि हुई है। तथापि, कुल कृषि ऋण में अधिक वृद्धि दर के कारण कृषि निवेश ऋण का प्रतिशत अपेक्षाकृत कम है। वर्तमान में पीएम-कुसुम योजना के अंतर्गत बैंक के पास लगभग रु. 500 करोड़ के प्रस्ताव पाइपलाइन में हैं, जिनके क्रियान्वयन से कृषि निवेश ऋण के प्रतिशत में उल्लेखनीय रूप से सुधार होगा।

Agenda 7 – Financial Inclusion

Branch opening and updation in newly identified 75 villages

उप महाप्रबन्धक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने बताया कि वित्तीय सेवाएँ विभाग**,** वित्त मंत्रालय**,** भारत सरकार द्वारा बैंकिंग आउटलेट खोलने हेतु **75** बैंकिंग सुविधाविहीन ग्रामों की सूची प्रदान की गयी है जिसे एसएलबीसी द्वारा ई-मेल दिनांक **29.05.2025**, **08.10.2025** के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही हेतु विभिन्न बैंकों को प्रेषित किया गया है तथा**;**

- उक्त बैंकों से लंबित आवंटित केन्द्रों पर अतिशीघ्र बैंकिंग आउटलेट स्थापित करने का अनुरोध किया। उन्होने बताया कि **75** गांवों में से **41** गांवों में पहले से ही **5** किलोमीटर के भीतर शाखाएं हैं जिनको जेडीडी पोर्टल पर अपडेट करने की आवश्यकता है एवं **41** गांवो मे से **33** को जेडीडी पोर्टल पर अपडेट किया जा चुका है एवं 8 तकनीकी कारण से लंबित है।
- कुल 7**5** गांवों में से शेष 3**4** गांवों में बैंक शाखाएं खोलना है। संबंधित बैंक द्वारा इन स्थानों पर सर्वेक्षण किया गया जिसमें इन गांवों पर शाखा खोलना व्यवहारिक नहीं (**not viable)** पाया गया है। जबकि वित्तीय सेवाएँ विभाग (**DFS)** ने इन गाँवो में बैंकिंग शाखा खोलने के निर्देश दिए है। राजस्थान ग्रामीण बैंक ने एसएलबीसी कार्यालय को सूचित किया है कि बैंक को आवंटित सभी 1**2** केंद्रो में शाखा खोलने हेतु बोर्ड की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है**,** साथ ही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने एक गाँव में शाखा एवं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने भी एक गाँव में शाखा खोलने की प्रस्तावित तिथि से कार्यालय को अवगत कराया है। अन्य सभी गांवो के संबंध मे बैंको से पुनः अनुरोध किया कि पूर्व में लिए गए निर्णय पर पुनर्विचार किया जाए तथा DFS के निर्देशों की अनुपालना में अतिशीघ्र शाखा खोलने की प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाए।

(कार्यवाही: बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफ़सी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफ़सी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक)

अध्यक्ष, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने बैंकों से अनुरोध किया गया है कि भारत सरकार के वित्तीय सेवाएं विभाग के निर्देशों की अनुपालना में उक्त गांवों में बैंक शाखाएँ खोलने की प्रक्रिया शुरू करें।

(**कार्यवाही: बैंक ऑफ बड़ौदा**, **बैंक ऑफ इंडिया**, **केनरा बैंक**, **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया**, **एचडीएफ़सी बैंक**, **आईसीआईसीआई बैंक**, **आईडीएफ़सी बैंक**, **स्टेट बैंक ऑफ इंडिया**, **यूको बैंक)**

<u>Strategy for Financial Inclusion Targets (NSFI) 2025-30</u>

महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया कि:-

- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 1 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन रणनीति (NSFI) 2025-30 जारी की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य सभी वर्गों तक सुरक्षित, जिम्मेदार और सुलभ वित्तीय सेवाएँ पहुँचाना है। इसके अंतर्गत दिसंबर 2030 तक वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस दिशा में विभिन्न स्तरों के गैर बैंकिंग केंद्रों को चरणबद्ध तरीके से कवर करने की योजना बनाई गई है, ताकि हर नागरिक को बैंकिंग सुविधाओं का लाभ मिल सके।
- उन्होने बताया कि राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन रणनीति (NSFI) 2025-30 का मुख्य लक्ष्य वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए समान, जिम्मेदार और सुलभ वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता और उनके उपयोग को बढ़ाना है। इसके तहत दिसंबर 2026 तक टियर-I से टियर-V केंद्रों के 50% और टियर-VI केंद्रों के 15% गैर बैंकिंग क्षेत्रों को कवर करने का लक्ष्य है। दिसंबर 2027 तक टियर-I से टियर-V केंद्रों के 100% और टियर-VI केंद्रों के 30% क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। दिसंबर 2028 तक टियर-VI केंद्रों के 50%, दिसंबर 2029 तक 75% और दिसंबर 2030 तक 100% अनबैंक्ड क्षेत्रों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है।
- महिला-नेतृत्व वाली वित्तीय समावेशन नीति को विशेष महत्व दिया गया है। इसके तहत महिला बिज़नेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स (BCs) की संख्या बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है एवं सभी बैंको को नए BCs में 30% महिलाएँ शामिल करने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही, बैंकों को अनुरोध किया गया है कि वे दिसंबर 2026 तक 20%, दिसंबर 2027 तक 25% और दिसंबर 2028 तक 30% महिला BCs का अनुपात बढ़ाने हेतु ठोस कार्ययोजना से कार्य करें।
- वर्तमान में राज्य के कुल बिज़नेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स (BCs) में महिलाओं का प्रतिशत लगभग 11% से 12% है। अत: उन्होंने सभी बैंकों से आग्रह किया कि नये बिज़नेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स (BCs) की नियुक्ति करते समय अधिक से

अधिक महिलाओं को नियुक्त करने का प्रयास करें। निष्क्रिय बिज़नेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स को बदलते समय भी महिलाओं को नियुक्त करने का प्रयास किया जा सकता है।

- रणनीति में जीविका, कौशल विकास और सहयोगी पारिस्थितिकी तंत्र को वित्तीय समावेशन से जोड़ने पर भी जोर दिया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि लोगों को न केवल वित्तीय सेवाओं तक पहुँच मिले, बल्कि वे कौशल और रोजगार के अवसरों से भी जुड़ सकें।
- कौशल प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक ज़िले में पोटेंशियल लिंक्ड प्लान लागू किया जाएगा। इसके माध्यम से प्रशिक्षित युवाओं और उद्यमियों को आवश्यक वित्तीय सहयोग मिलेगा, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और स्थानीय स्तर पर आर्थिक विकास को गति दे सकें।

Progress under Re-KYC

महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया कि:- 'मन की बात' कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री ने स्वयं री-केवाईसी, साइबर सुरक्षा और अन्य संबंधित मुद्दों पर विशेष रूप से प्रकाश डाला है। री-केवाईसी केवल एक बैंकिंग प्रक्रिया भर नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि खातों का उपयोग वास्तविक ग्राहकों द्वारा ही किया जा रहा है। इससे खातों की सुरक्षा बनी रहती है और बैंकिंग प्रणाली का दुरुपयोग, धोखाधड़ी अथवा मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियों के लिए नहीं हो पाता। उन्होंने सभी बैंकों से अनुरोध किया कि इस महत्वपूर्ण दायित्व पर गंभीरता से ध्यान दें। यह केवल प्रक्रिया तक सीमित नहीं है, बल्कि री-केवाईसी से संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली की विश्वसनीयता और सुरक्षा पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है।

(कार्यवाही: सभी सदस्य बैंक)

प्रतिनिधि, राजस्थान ग्रामीण बैंक सूचित किया गया कि बैंक के द्वारा सभी 100% पात्र ग्राहकों को तीन बार पूर्व-सूचना भेजी गई है। इसके अतिरिक्त, 23,50,931 खातों (ग्रामीण एवं शहरी दोनों) को, जिनमें मोबाइल नंबर उपलब्ध नहीं हैं, पोस्ट-इंटिमेशन नोटिस भी प्रेषित किए गए हैं। जहाँ मोबाइल नंबर उपलब्ध हैं, वहाँ एसएमएस के माध्यम से सूचना दी गई है। बीसी चैनल के माध्यम से भी बैंक ग्राहकों तक पहुँच बना रहा हैं और उनसे प्रपत्र एकत्रित कर रहे हैं। बैंक री-केवाईसी का अभियान शिविर मोड में चला रहे हैं एवं कुल 18 लाख खातों में से 2.73 लाख खातों को कवर किया जा चुका है।

क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक ने राजस्थान ग्रामीण बैंक से अनुरोध किया कि डिजिटल केवाईसी (**Digital KYC)** की सुविधा बीसी पॉइंट पर ही उपलब्ध कराई जाए। इस प्रक्रिया को शीघ्रता से लागू करना आवश्यक है**,** क्योंकि इससे कार्य निष्पादन अधिक तेज़ और प्रभावी होगा। यदि यह सुविधा कार्यरत हो जाती है**,** तो ग्राहक सेवा में उल्लेखनीय सुधार होगा और बैंकिंग प्रणाली की विश्वसनीयता भी सुदृढ़ होगी। अतः बैंक से अपेक्षित है कि इस प्रक्रिया को त्वरित गति से आगे बढ़ाया जाए।

(कार्यवाही: राजस्थान ग्रामीण बैंक)

महा प्रबंधक भारतीय रिजर्व बैंक ने आयोजना विभाग, राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर (**EBT)** अथवा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (**DBT)** के लाभार्थियों को एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाए कि वे शीघ्र ही पुनः-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण करें और सरकारी योजनाओं के लाभों का निर्बाध रूप से लाभ उठाते रहें।

(कार्यवाही: आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार)

Inactive Fixed Point BC data

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने उन सभी बैंकों से अनुरोध किया जिनके बैंक मित्र (BC) का निष्क्रिय प्रतिशत 5% से अधिक है, वे सभी बैंक यथाशीघ्र निष्क्रिय BC को सक्रिय करें तथा ऐसे BC जो सक्रिय नहीं हो सकते, उनका विश्लेषण कर एक तय समय सीमा में निर्णय लें कि उन्हें जारी रखा जाए या नहीं।

(कार्यवाही: बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, इंडियन बैंक, यूको बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एचडीएफ़सी बैंक, आईडीएफ़सी फ़र्स्ट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक)

Agenda 8 - Atal Pension Yojna FY 2025-2026 upto 31.12.2025:

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने अवगत करवाया कि-

- वित्तीय वर्ष 2025-2026 हेतु राज्य में APY के तहत कुल **7,06,550** नामांकन के लक्ष्य के सापेक्ष दिनांक 31.12.2025 तक **6,09,535 (86%)** नामांकन किए गए हैं।
- अटल पेंशन योजनान्तर्गत **एजेंसी-वार** उपलब्धि निम्नानुसार रही है-
  - सार्वजनिक बैंक- 90%
  - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक- 104%
  - स्माल फ़ाइनेंस बैंक- 93%
  - एचडीएफ़सी, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक- 36%
  - अन्य निजी बैंक- 95%
  - सहकारी बैंक- 1%

- सहकारी बैंक से अनुरोध किया गया कि इस क्षेत्र में बैंक को अविलंब ध्यान देना होगा। न्यूनतम प्रदर्शन करने वाले निजी बैंकों से अनुरोध है कि चालू वित्तीय वर्ष में अग्रिम कार्यवाही करते हुए अटल पेंशन योजना के तहत शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करें।

(कार्यवाही: राज्य सहकारी बैंक एवं सभी निजी बैंक)

प्रतिनिधि, एचडीएफसी बैंक सूचित किया गया कि इस वित्तीय वर्ष के लक्ष्यों को मार्च 2026 माह तक बैंक के द्वारा प्राप्त कर लिया जाएगा।

(कार्यवाही: एचडीएफसी बैंक)

Agenda 9 - Bank wise progress in Camps for Refund of Unclaimed Financial Assets

उप महाप्रबंधक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने समिति को अवगत कराया कि दिनांक 31.01.2026 तक सभी बैंकों के द्वारा लगभग रु. 91 करोड़ कि दावा रहित जमा लाभार्थियों को वापस कर दिया गया है। सभी बैंकों को सुनिश्चित करना होगा कि प्रगति के इन आँकड़ों में सुधार हो। विशेष रूप से वे बैंक जो निचले स्तर पर हैं**,** उन्हें प्राथमिकता के साथ अपने प्रदर्शन में सुधार करना होगा।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक एवं सभी अग्रणी जिला प्रबंधक)

संयोजक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने सभी बैंकों एवं आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार से अनुरोध किया गया कि सरकारी खातों में गैर दावा (**Unclaimed)** जमा राशि का लगभग 95 करोड़ रुपये है। यह राशि लंबे समय से अप्रयुक्त पड़ी हुई है। अतः बैंक एवं विभाग**,** दोनों से अनुरोध है कि समन्वय स्थापित कर इन गैर दावा जमाओं को शीघ्रता से निपटाने हेतु ठोस एवं समयबद्ध कदम उठाएँ।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक एवं आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार)

आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार ने समिति को बताया कि केवल बैंक ऑफ बड़ौदा एवं भारतीय स्टेट बैंक से ही गैर दावा जमा के खातों कि सूची विभाग को प्राप्त हुई है। उन्होंने अन्य सभी बैंकों से खातों कि सूची उपलब्ध कराने के लिए आग्रह किया।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

Agenda 10 - National Rural Livelihood Mission (NRLM)

उप महाप्रबंधक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने अवगत करवाया कि:

- वित्तीय वर्ष 2025-2026 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत 1,10,190 खातों में रु 2,680 करोड़ का ऋण वितरण करने के लक्ष्य के सापेक्ष दिनांक 31.12.2025 तक 68,836 खातों (62.47%) में ऋण वितरण किया गया है।
- योजना में कैनरा बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज़ बैंक और आईडीबीआई बैंक का प्रदर्शन अपेक्षित स्तर से काफी नीचे रहा है। इन बैंकों से आग्रह किया गया है कि वे अपने लक्ष्यों की पूर्ति हेतु तत्काल सुधारात्मक कदम उठाएँ।

(कार्यवाही: कैनरा बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज़ बैंक और आईडीबीआई बैंक)

- योजना में राजस्थान ग्रामीण बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं आईसीआईसीआई बैंक में लंबित आवेदन सबसे अधिक है। इन बैंकों से आग्रह किया गया है कि वे अपने लंबित आवेदनों में जल्द निर्णय लेने के लिए सुधारात्मक कदम उठाएँ एवं 31 मार्च 2026 तक सभी लंबित आवेदनों में निर्णय लेवें।

(कार्यवाही: राजस्थान ग्रामीण बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं आईसीआईसीआई बैंक)

राज्य परियोजना प्रबंधक, राजीविका, राजस्थान सरकार ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा लंबित आवेदन चार बैंकों यथा राजस्थान ग्रामीण बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं यूको बैंक मे है। इन सभी बैंकों से निवेदन है कि लंबित अवदानों मे निर्णय लें एवं प्रयास करें कि कोई भी आवेदन 30 दिन से ज्यादा लंबित नहीं रहे।

(कार्यवाही: राजस्थान ग्रामीण बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं यूको बैंक)

महा प्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से अनुरोध किया कि किसी भी सरकारी योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदन 30 दिनों से अधिक लंबित न रहें। यदि किसी आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है, तो उसके कारणों की स्पष्ट एवं उचित जानकारी आवेदक को विस्तृत रूप से संप्रेषित की जाए।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

Agenda 11: Performance under Govt. Sponsored Programmes during FY 2025-2026

Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP)

उप महाप्रबंधक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने सूचित किया कि राज्य में वित्तीय वर्ष 2025-2026 में योजनान्तर्गत दिनांक 15.02.2026 तक कुल 11426 आवेदनों का लक्ष्य रखा गया था, जिसके सापेक्ष 3,756 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 1,411 आवेदनों को स्वीकृति मिली और 1,516 आवेदनों में ऋण वितरण किया गया। वर्तमान में 1,212 आवेदन लंबित हैं। योजनान्तर्गत वार्षिक लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है तथा मार्जिन मनी दावा राशि विभाग के द्वारा बैंकों को भेजना बकाया है।

Agenda 12 : PMFME Scheme

उप महाप्रबंधक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने अवगत करवाया कि-

- दिनांक 02.02.2026 तक PMFME के तहत एजेंसी-वार प्रगति निम्नानुसार रही है:
  - सार्वजनिक क्षेत्र बैंक- 24.65%
  - निजी बैंक- 15.10%
  - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक- 12.25%
  - सहकारी बैंक- 12.30%
  - स्माल फ़ाइनेंस बैंक- 8.97%
  - कुल- 20.23%
- उन्होने सभी बैंक से PMFME के तहत लंबित आवेदनों का अतिशीघ्र निस्तारण करते हुए, शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने का अनुरोध किया।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

प्रतिनिधि, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने समिति को सूचित किया कि विभाग के द्वारा हाल ही में लगभग 1000 आवेदन प्रायोजित कर बैंक को अग्रेषित किए हैं। तथापि, योजना के अंतर्गत बैंकों में 30 दिनों से अधिक समय से लंबित आवेदनों की स्थिति अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है। यदि बैंक इन लंबित आवेदनों पर निर्णय लेते हैं और उनमें से कुछ को अस्वीकृत करते हैं, तो विभाग उन अस्वीकृत आवेदनों का संज्ञान लेकर संबंधित आवेदकों को पुनः आवेदन करने में सहयोग प्रदान कर सकता है। इस प्रकार, विभाग और बैंक मिलकर लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित कर सकते हैं।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

सचिव, **आयोजना विभाग**, **राजस्थान सरकार** ने बताया कि योजना अंतर्गत अस्वीकृति का प्रतिशत लगभग 58.59% है। यह दर अत्यधिक है और गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने सभी बैंकों से अनुरोध किया कि वे उन मानकों/पैरामीटर्स की पुनः समीक्षा करें जिनके आधार पर आवेदन स्वीकृत या अस्वीकृत किए जा रहे हैं। उच्च अस्वीकृति दर यह संकेत देती है कि मानकों के अनुप्रयोग में कठोरता या असंगति हो सकती है। बैंकों द्वारा यदि मानकों की पुनः समीक्षा कर उचित निर्णय लिया जाता है तो इससे आवेदकों को न्यायसंगत अवसर मिलेगा तथा विभाग भी अस्वीकृत आवेदनों के पुनः आवेदन हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान कर सकेगा।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

अध्यक्ष, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने बैंकों से अनुरोध किया गया है कि सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत किसी भी आवेदन को अस्वीकृत करते समय भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जाए।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

Agenda 13 : Agriculture Infrastructure Fund (AIF) as on 31.12.2025

उप महाप्रबंधक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने अवगत करवाया कि-

- दिनांक 31.12.2026 तक AIF के तहत एजेंसी-वार प्रगति निम्नानुसार रही है:
- वाणिज्यकृत बैंक- 26.62%
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक- 6.24%
- सहकारी बैंक- 0.37%
- स्माल फ़ाइनेंस बैंक- 8.29%
- कुल- 21.60%
- उन्होने सभी बैंक से AIF के तहत लंबित आवेदनों का अतिशीघ्र निस्तारण करते हुए, शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने का अनुरोध किया।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

प्रतिनिधि, सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार ने बताया कि:-

- योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, सीपीएमयू द्वारा सत्यापन एवं अनुमोदन के बाद बैंकों को 60 दिनों के भीतर ऋण आवेदन पर निर्णय लेना होता है। लेकिन अभी तक वर्ष 2020 और 2021 से जुड़े कुल 778 मामले लंबित हैं। इनमें सबसे अधिक लंबित प्रोजेक्ट्स एचडीएफ़सी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के हैं। उन्होने सभी बैंको से अनुरोध किया कि इन आवेदनों पर मार्च 2026 तक निर्णय ले चाहे आवेदन स्वीकृति हो या अस्वीकृति।

- सीपीएमयू से अनुमोदन के बाद भी बैंकों द्वारा आवेदनों में अस्वीकृति की दर बहुत अधिक है। केंद्रीय स्तर पर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिलने के बाद भी बैंक के द्वारा आवेदनों को अस्वीकार किया जा रहा है, सभी बैंको से अनुरोध है कि इस विषय पर गंभीरता से विचार एवं समीक्षा करें।
- कई मामलों में आवेदनों को बैंक द्वारा स्वीकृति मिल जाती है, लेकिन वितरण में देरी होती है। यह अंतर किसानों और लाभार्थियों के लिए बड़ी समस्या है।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

Agenda 14 : Pradhan Mantri Mudra Yojna:

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने अवगत करवाया कि-

- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-2026 में 30.01.2026 तक **11,72,077** खातों में **रु 18407.96 करोड़** का ऋण वितरण रिपोर्ट किया गया है। एजेंसी-वार प्रगति निम्नानुसार रही है-
  - सार्वजनिक क्षेत्र बैंक- 2,45,314 खातों में रु 7,477.99 करोड़
  - निजी बैंक- 5,63,548 खातों में रु 6,409.24 करोड़
  - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक- 1,49,853 खातों में रु 2,713.19 करोड़
  - स्माल फ़ाइनेंस बैंक- 2,13,362 खातों में रु 1,807.54 करोड़
- उक्त योजनान्तर्गत श्रेणीवार प्रगति निम्नानुसार रही है :
- शिशु: 3,01,509 खातों में रु 1,117.99 करोड़
- किशोर: 7,91,655 खातों में रु 10,725.79 करोड़
- तरुण: 75,070 खातों में रु 5,975.12 करोड़
- तरुण प्लस: 3,843 खातों में रु 589.07 करोड़
- योजनान्तर्गत सभी बैंकों से अनुरोध है कि चालू वित्तीय वर्ष में उचित कार्ययोजना बनाकर PMMY के तहत शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने हेतु कार्यवाही करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

Agenda 15 : PM Vishwakarma Yojana

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने अवगत करवाया कि-

- पीएम विश्वकर्मा योजनान्तर्गत बैंकों को 1,61,194 ऋण आवेदन अग्रेषित किए गए हैं जिसके सापेक्ष रु 508.90 करोड़ के 52,682 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं एवं रु 464.81 करोड़ के 53,682 आवेदनों में ऋण वितरण किया गया है। 2,181 आवेदन निस्तारण हेतु लंबित हैं एवं 101,778 आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया गया है।
- योजना के अंतर्गत जिन बैंकों में सर्वाधिक लंबित आवेदन हैं, उनसे अनुरोध किया गया कि वे इन आवेदनों पर शीघ्र निर्णय लें।

(कार्यवाही: एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफ़सी बैंक, राजस्थान ग्रामीण बैंक, एयू स्माल फ़ाइनेंस बैंक)

Agenda 16 : PM Surya Ghar Muft Bijli Yojna (PMSGMBY)

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि :-

- PMSGMBY के तहत दिनांक 31.12.2025 तक बैंकों को **144470** आवेदन अग्रेषित किए गए हैं जिनमे से **रु 1173.66** करोड़ के **72,450** आवेदन स्वीकृत किए गए हैं एवं **67,695** आवेदनों में **रु 1059.07 करोड़** का ऋण वितरण किया गया है। **14,103** आवेदन निस्तारण हेतु लंबित हैं एवं **57,700** आवेदन निरस्त कर दिये गए हैं।
- योजना में न्यूनतम प्रदर्शन करने वाले निजी बैंक एवं सहकारी बैंको से उचित कार्ययोजना बनाकर लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया।

(कार्यवाही: समस्त निजी बैंक एवं सहकारी बैंक)

- योजना के अंतर्गत जिन बैंकों में सर्वाधिक लंबित आवेदन हैं, उनसे अनुरोध किया गया कि वे इन आवेदनों पर शीघ्र निर्णय लें।

(कार्यवाही: पंजाब एवं सिंध बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, राजस्थान ग्रामीण बैंक, आईडीबीआई बैंक)

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सभी बैंको से अनुरोध किया कि योजना में अस्वीकृतियों की अधिकता पर भी ध्यान दिया जाए तथा आवेदनों पर समयबद्ध निर्णय सुनिश्चित किया जाए।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

Agenda 17: PM SVANidhi Yojna

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने अवगत करवाया कि-

- PM SVANidhi योजना के तहत मार्च 2030 तक के लक्ष्य 7,85,784 आवेदन निर्धारित किए गए है, जिसके सापेक्ष कुल 3,73,543 आवेदन पात्र पाए गए। इनमें से 2,89,693 आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की गई है तथा 2,78,982 आवेदनों में ₹385.29 करोड़ का ऋण वितरण किया गया है।
- वर्तमान में 73,704 आवेदन स्वीकृति हेतु लंबित हैं तथा 10,711 आवेदन वितरण हेतु लंबित हैं। इस प्रकार कुल 84,415 आवेदन बैंकों में लंबित हैं।
- 10,146 आवेदन बैंकों द्वारा वापस किए गए हैं। वहीं, 1,54,872 ऋणों की अदायगी की जा चुकी है।
- समग्र प्रगति का प्रतिशत (वितरण बनाम लक्ष्य) 35.50% है, जिसमें प्रथम ऋण श्रेणी में 43.98%, द्वितीय ऋण श्रेणी में 25.44% तथा तृतीय ऋण श्रेणी में 12.53% की प्रगति दर्ज की गई है।

प्रतिनिधि स्वायत शासन विभाग, ने सभी बैंकों से अनुरोध किया कि वे लंबित आवेदनों पर शीघ्र निर्णय लें, विशेषकर द्वितीय ऋण श्रेणी तथा तृतीय ऋण श्रेणी के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों पर।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

Agenda 18 : Strengthening of Negotiable Warehouse Receipts (NWRs) by WDRA

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने दिसंबर 2025 तिमाही में राज्य में इस योजना की प्रगति के बारे में निम्नानुसार अवगत कराया:-

Disbursement during the quarter Dec-25		Outstanding as at end of Dec-25	
No of Accounts	**Amount (in Lacs)**	**No of Accounts**	**Amount (in Lacs)**
189	19204.64	475	28345.82

Agenda 19 : Dr. Bhimrao Ambedkar Rajasthan Dalit Aadivasi Udyam Protsahan Yojana-2022 (BRUPY)

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने अवगत करवाया कि-

- BRUPY के तहत **2,000** के लक्ष्यों के सापेक्ष दिनांक 31.12.2025 तक बैंकों को प्राप्त **3,059** आवेदनों में से **1022** आवेदन स्वीकृत किए गए हैं जिनमे से **890** आवेदनों में ऋण वितरण किया गया है एवं **1,726** आवेदन निस्तारण हेतु लंबित हैं।
- योजनान्तर्गत न्यूनतम प्रदर्शन करने वाले बैंको यथा यस बैंक (0%), पंजाब एण्ड सिंध बैंक (9%), एचडीएफ़सी बैंक(3%), एक्सिस बैंक(5%) एवं आईसीआईसीआई बैंक (8%) से चालू वित्तीय वर्ष में प्रदर्शन में वांछित सुधार करते हुए शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने का अनुरोध किया गया।

(कार्यवाही: यस बैंक, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, एचडीएफ़सी बैंक, एक्सिस बैंक एवं आईसीआईसीआई बैंक)

प्रतिनिधि भारतीय स्टेट बैंक ने समिति को अवगत कराया गया कि वर्तमान में योजना के अंतर्गत कोई भी केंद्रीकृत एम.आई.एस. (MIS) उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण बैंक स्तर पर योजना की प्रभावी समीक्षा करने में कठिनाई उत्पन्न होती है। इस संदर्भ में विभाग से अनुरोध है कि शीघ्र ही एक केंद्रीकृत एम.आई.एस. विकसित किया जाए तथा पूर्व से

लंबित आवेदनों की सूची बैंकों को उपलब्ध कराई जाए, ताकि समयबद्ध निर्णय लेकर लाभार्थियों को अपेक्षित सुविधा प्रदान की जा सके।

(कार्यवाही: उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार)

Agenda 20 : Mukhyamantri Nari Shakti Udyam Protsahan Yojana

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने अवगत करवाया कि-

- MNSUPY के तहत वित्तीय वर्ष 2025-2026 मे दिनांक 30.01.2026 तक 1,200 के लक्ष्यों के सापेक्ष बैंकों को प्राप्त **4,074** आवेदनों में से **1044** आवेदन स्वीकृत किए गए हैं जिनमे से **606** आवेदनों में ऋण वितरण किया गया है। बैंकों के पास 30 दिन से कम एवं अधिक क्रमशः 711 एवं 1,988 आवेदन मिलाकर कुल 2,699 आवेदन लंबित हैं।
- MNSUPY योजनान्तर्गत बैंकों से अनुरोध है कि लंबित आवेदनों का निस्तारण कर प्रदर्शन में सुधार करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

Agenda 21 : Vishwakarma Yuva Udhyam Protsahan Yojna

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया की अतिरिक्त आयुक्त (उद्योग, वाणिज्य एवं सीएसआर), राजस्थान सरकार ने पत्र क्रमांक F()CI/VYUPY/Target/2025-26/01318 दिनांक 06.10.2025 के माध्यम से सूचित किया है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 की बजट घोषणा के अनुरूप 'विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना' प्रारंभ की गई है।

- यह योजना 31.03.2029 तक मान्य रहेगी।
- योजना का उद्देश्य युवाओं को नए रोजगार अवसर उपलब्ध कराना है, जिसके अंतर्गत वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण सुविधा प्रदान की जाएगी, जिसमें मार्जिन मनी एवं ब्याज सब्सिडी सम्मिलित है।
- योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-2026 मे दिनांक 21.02.2026 तक बैंकों को प्राप्त **2,543** आवेदनों में से **433** आवेदन स्वीकृत किए गए हैं जिनमे से **306** आवेदनों में ऋण वितरण किया गया है। बैंकों के पास 30 दिन से कम एवं अधिक क्रमशः **905 एवं 1,077** आवेदन मिलाकर कुल **1,982** आवेदन लंबित हैं।

Agenda 22 - Education Loan

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने अवगत करवाया कि राज्य में बैंकों द्वारा वर्ष 2025-2026 में दिसंबर 2025 तक **21,603** छात्रों को **रू 862.82 करोड़** के शिक्षा ऋण वितरित किए गए हैं एवं दिनांक 31.12.2025 तक **51,994** खातों में **रु 4,051.00 करोड़** की राशि बकाया है।

Agenda 23 - Sector wise & District-wise NPA Position as on 31 December 2025

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि-

- राज्य में क्षेत्र वार NPA की 31 दिसंबर 2025 तक की स्थिति निम्नानुसार है-
  - कुल एनपीए- रु 23,451 करोड़
  - कृषि क्षेत्र- रु 14,077 करोड़
  - एमएसएमई क्षेत्र- रु 4,690 करोड़
  - अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र- रु 704 करोड़
  - कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र- रु 19471 करोड़
- कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र मे एनपीए का क्षेत्र वार योगदान निम्नानुसार है-
  - कुल कृषि क्षेत्र- 72.30%
  - कुल एमएसएमई क्षेत्र- 24.09%
  - कुल अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र- 3.61%

- कुल NPA, कृषि NPA, MSME NPA, अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र एवं कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र NPA में दिसंबर 2024 के सापेक्ष क्रमशः 0.40%, 3.03%, 1.49%, 1.49% एवं 2.81% की कमी आई है।
- डीग (17.43%), फलोदी (11.49%), करौली (10.01%), जैसलमेर (10.44%), सवाई माधोपुर (8.65%), प्रतापगढ़ (6.46%), बारां (6.01%), भरतपुर (5.74%), दौसा (7.50%), बांसवाड़ा (5.42%) एवं धौलपुर (9.85%) जिलों में NPA प्रतिशत अत्यधिक है। संबन्धित अग्रणी ज़िला प्रबन्धकों से अनुरोध है कि उक्त जिलों में NPA प्रतिशत कम करने हेतु संबन्धित बैंकों एवं जिला प्रशासन के साथ समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा राष्ट्रीय लोक अदालतों का प्रभावी उपयोग करें।

(कार्यवाही: अग्रणी ज़िला प्रबन्धक, डीग, फलोदी, करौली, जैसलमेर, सवाई माधोपुर, प्रतापगढ़, बारां, भरतपुर, दौसा, बांसवाड़ा एवं धौलपुर)

Agenda 24 - RACO RODA & SARFAESI Act

- प्रकरण बकाया दिनांक **31.12.2025** तक
- **RACO RODA - 1,76,386 Cases Amt. ₹. 3984.38 Cr.**
- **SARFAESI Act - 1,990 Cases Amt. ₹. 429.80 Cr.**
- राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की उपसमिति (बकाया ऋण की वसूली) की बैठक का प्रति तिमाही आयोजना किया जाना अपेक्षित है। **उक्त उपसमिति की सातवीं बैठक का आयोजना दिनांक 08.06.2023 को किया गया था।**

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने राजस्व विभाग राजस्थान सरकार से अनुरोध किया कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की उपसमिति (बकाया ऋण की वसूली) की बैठक नियमित रूप से आयोजित कारी जाए।

(कार्यवाही: राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार)

Agenda 25: Bankwise & Districtwise Ranking Under Govt. Schemes & FI Parameters

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने समिति को अवगत करवाया कि सरकारी योजनाओं एवं वित्तीय समावेशन मापदण्डों के आधार पर निम्नलिखित बैंक व जिलों ने प्रथम तीन स्थान प्राप्त किए हैं-

स्थान	**बैंक**	**ज़िला**
प्रथम	इंडियन ओवरसीज बैंक	जयपुर
द्वितीय	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	पाली
तृतीय	बैंक ऑफ बड़ौदा	झालावाड़

अतिरिक्त महानिदेशक, राजस्थान पुलिस साइबर अपराध, राजस्थान सरकार ने बताया कि -

- गत माह Indian Cyber Crime Coordination Center (I4C) द्वारा साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज शिकायतों से संबंधित धनवापसी हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) को अनुमोदित कर प्रसारित किया गया है। यह SOP सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी अनुमोदित है। इसके अंतर्गत यदि अपराध की रिपोर्ट दर्ज की गई है और धनराशि खाते में रोक ली गई है अथवा खाता अवरुद्ध किया गया है, तो ₹50,000 तक की राशि बिना एफआईआर के वापस की जा सकती है।
- कोई भी साइबर अपराध म्यूल अकाउंट्स की सहायता के बिना संभव नहीं है। अतः री-केवाईसी तथा MULE Hunter पहल को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के सहयोग से सभी बैंकों के द्वारा गंभीरता से लागू किया जाना चाहिए। अधिकांश धनराशि Investment Frauds तथा Digital Arrest जैसे अपराधों में जा रही है। यह धनराशि प्रायः भारत से बाहर प्रवाहित हो रही है और इसके पीछे संगठित अंतरराष्ट्रीय गिरोह सक्रिय हैं। इन वास्तविक अपराधियों तक पहुँचना लगभग असंभव है; अब तक केवल म्यूल अकाउंट धारकों या SIM प्रदाताओं तक ही कार्रवाई हो पाई है।

- एक अतिरिक्त सूचना साझा की गई कि दिनांक 31 मार्च 2026 के बाद भारत सरकार का ध्यान साइबर अपराध और नारको अपराध पर केंद्रित होगा। गृह मंत्रालय ने इन अपराधों पर पूर्ण बल से कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। पिछले वर्ष लगभग 100 एफआईआर दर्ज हुई थीं, किंतु सीमा घटाकर ₹5 लाख करने से यह संख्या लगभग 10,000 तक पहुँचने की संभावना है। अतः बैंकों से वित्तीय अपराधों से संबंधित जानकारी की माँग में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। सभी बैंकों से अनुरोध है कि वे इन माँगों पर शीघ्र और तत्परता से प्रतिक्रिया दें।
- सभी जन साधारण को सावधान किया गया कि वे किसी भी प्रकार के साइबर अपराध का शिकार न हों। यह अपराध देखने में सामान्य प्रतीत होते हैं, किंतु अत्यंत बुद्धिमान और अनुभवी लोग भी इनके जाल में फँस जाते हैं। Artificial Intelligence (AI) के प्रयोग से ऐसे अपराधों की संख्या और बढ़ने की संभावना है। सभी बैंकों को निरंतर शिक्षित करना होगा, ताकि इस चुनौती को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सके।

(कार्यवाही: राजस्थान सरकार के समस्त विभाग, समस्त सदस्य बैंक एवं सभी अग्रणी जिला प्रबन्धक)

उप-महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बैठक में उपस्थित मंचासीन सदस्यों सहित केंद्र एवं राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, बैंक तथा अन्य सभी विभागों के प्रतिनिधियों का धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक का समापन किया।

.....